

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/ स्था.1/राज/पी/17/2011/686

भोपाल, दिनांक 30-6-2011

प्रति,


समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला मध्यप्रदेश।

विषय:- प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि.के पद पर पदोन्नति हेतु पदस्थापना ऑनलाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से किये जाने बावत्।

विषयान्तर्गत प्रकरण में लेख है कि प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि.के पदों पर पदोन्नति उपरांत पदांकन की कार्यवाही ऑनलाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से दिनांक 01 जुलाई 2011 से 09 जुलाई 2011 तक की जायेगी। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। उक्तानुसार जारी निर्देशों से आपके जिले के जिन प्राचार्यों के नाम पदोन्नति सूची में सम्मिलित किये गये हैं उनको व्यक्तिगत रूप से अवगत कराने की व्यक्तिगत जिम्मेवारी आपकी रहेंगी।

1. सर्वप्रथम प्राचार्य को educationportal खोलना होगा इस हेतु उन्हें मीनू बॉक्स में <http://educationportal.mp.gov.in> टाईप करने के पश्चात् Enter की दबानी होगी।
2. उक्तानुसार कार्यवाही करने पर educationportal की खुल जायेगा। इसमें ऊपर दायी तरफ लॉग इन mono बना है। इस मोनो पर क्लिक करें।
3. क्लिक करने पर username and Password की प्रविष्टि करें। username में unique id लिखना होगा तथा Password में Eservice Book का Password लिखना होगा।
4. <http://www.educationportal.mp.gov.in/onlinecounselling/> की Link दिखाई देंगी।
5. इसमें Online Counselling में प्राचार्य उ.मा.वि.के रिक्त पदों की जानकारी विद्यालयों के नाम कोड सहित दर्ज है तथा जो प्राचार्य हेतु पात्र है उनकी सूची दर्ज है।
6. Online Counselling के सीधे हाथ की तरफ Register Choice है। जिसे क्लिक करने पर 20 संस्थाओं के चयन हेतु 20 बॉक्स उपलब्ध होंगे। जिनमें अपने चयन के क्रम के आधार पर संस्थाओं के कोड जो कि 1001 से प्रारंभ होकर 1845 तक है भरना होंगे।
7. प्राचार्यों द्वारा चयन की गई बीस संस्थाओं का प्रिंट इसमें दिये गये ऑप्शन Print your registered choices में से निकाल सकते हैं।
8. प्राचार्यों द्वारा संस्था के चयन दिनांक 1 जुलाई 11 के प्रातः 11 बजे से 09 जुलाई 2011 के सांय 05 बजे तक किया जा सकता है। प्राचार्य इस दौरान अपनी चयनित संस्था यदि बदलना चाहे तो बदल सकते हैं परंतु दिनांक 09 जुलाई 11 को सांय 05 बजे के पश्चात् चयन किये गये ऑप्शन लॉक कर दिये जायेंगे तथा इसके उपरांत प्राचार्य संस्था चयन के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।
9. प्राचार्य को इस बात के सख्त निर्देश दे कि वे अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बतावे। यदि किसी प्राचार्य को उनका पासवर्ड याद नहीं है तो वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय / जिला शिक्षा केन्द्र से संपर्क स्थापित कर अपना पासवर्ड परिवर्तित कराकर नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

10. यदि काउन्सलिंग के दौरान प्राचार्यो को कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो वे इसके निराकरण के लिये संचालनालय लोक शिक्षण के अधिकारियों से मोबाइल/ दूरभाष पर चर्चा कर सकते है।

 30-6-11

( अशोक बर्णवाल )

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / स्था.1 / राज / पी / 17 / 2011 / 687  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 30-6-2011

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
3. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, भोपाल।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, पाठ्य पुस्तक भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
6. निर्देशक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
8. समस्त प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय।
9. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मध्यप्रदेश।



आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश